उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-27/2016/आडिट-1-735/दस-2016-308(3)/15
लखनऊ : दिनांक : 28 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति/प्रोन्नति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल महोदय, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, संगठन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (वेतन बैण्ड-2 रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4800/-) को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद (वेतन बैण्ड-3 रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/-) पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	2
1	सुभाष चन्द्र जैन
2	सैय्यद राशिद अब्बास
3	अजय कुमार मालवीय
4	हरीराम मिश्र
5	प्रभाष चन्द्र सिंह
6	कृष्ण कुमार शर्मा द्वितीय
7	सैय्यद ऐनुलआबदीन रिजवी
8	विनय कुमार तिवारी
9	विपिन कुमार अग्रवाल
10	मो0 अनीश खॉ
11	नरेश कुमार
12	भगवती प्रसाद
13	अनिल कुमार
14	हरी प्रकाश
15	प्रबोध रंजन
16	नीरज कुमार सक्सेना
17	राकेश कुमार
18	नरेश कुमार तरसोलिया
19	राज कुमार
20	चन्द्र सिंह पवार
21	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
22	सुभाष चन्द्र शर्मा

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	देवेन्द्र पाल सिंह
24	भैरव प्रसाद
25	कैलाश नारायण वर्मा
26	प्यारेलाल तृतीय
27	कृष्ण बाबू जाटव
28	चन्द्र सेन
29	मो0 खलील
30	फूल चन्द्र मिश्र
31	दिनेश चन्द्र शर्मा
32	जहीर अहमद
33	ठाकुर प्रसाद
34	संतोष कुमार श्रीवास्तव
35	ओम प्रकाश दीक्षित
36	कृष्ण कान्त
37	अशोक कुमार शुक्ल
38	महोदधि सिंह
39	संतोष कुमार श्रीवास्तव
40	वीरेन्द्र प्रताप सिंह
41	अनिल कुमार सिंह
42	रमापति उपाध्याय
43	सुबालाल तिवारी
44	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
45	राणा प्रताप सिंह
46	राजेश्वर प्रसाद मिश्र
47	अवध राज यादव
48	बिनोद कुमार राय
49	इन्द्र प्रकाश सिंह
50	प्रमोद कुमार
51	केशव प्रसाद कुशवाहा
52	अवधेश कुमार अग्रवाल
53	जय प्रकाश मिश्र
54	रोबिन रस्तोगी
55	भरत पटेल
56	राम बदन चौबे
57	जय कुमार श्रीवास्तव
58	इच्छा राम यादव

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	हरीश चन्द्र
60	राजेन्द्र सिंह
61	पियूष कुमार मित्तल

2- उक्त अधिकारियों को प्रोन्नत के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 यथासंशोधित 2016 के अनुसार विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

4- अन्यत्र तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

कुमुदलता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

संख्या-27/2016/आडिट-1-735(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-79(I)/08/पी0/एस-5/2016-17, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारीगण।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी गटज के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।